



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

Website: www.psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :- A-1/DR(TRI)/S-2/2026

कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा-2026

(Tax & Revenue Inspector Examination-2026)

विज्ञापन प्रकाशन/ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	—	15 जुलाई, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	—	04 अगस्त, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	04 अगस्त, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि		12 अगस्त, 2026 से 21 अगस्त, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

- उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 04 अगस्त, 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।
सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2026 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Issue date of marksheet) अथवा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) अथवा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration date) का अंकन अवश्य करें।
विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे

	अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
7.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरान्त मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-15 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
9.	अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-01, परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02, नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-03, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-04, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-05, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-07 एवं अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट-08 का अवलोकन करें।
10.	i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ii. आयोग द्वारा अभिलेख मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (परिशिष्ट-8 के अनुसार) आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। iii. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। iv. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा मूल अभिलेखों से सत्यापन,

	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 (यथासंशोधित) के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
11.	अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2026 में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
12.	प्रश्नगत पदों हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-05 में किया गया है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
13.	शासनादेश संख्या: 232/XXX(2)/2018-30(05)/2014, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया जा सकता है, उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
14.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र, आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
15.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
16.	अभ्यर्थी किसी भी दशा में एक से अधिक आवेदन-पत्र कदापि न भरें, अन्यथा इस प्रकार किये गये समस्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक के कुल 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

02- रिक्तियों का विवरण :- शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण						दिव्यांग
		उत्तराखण्ड महिला	स्व0 सं0 से0 के आश्रित	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कुशल खिलाड़ी	राज्य आंदोलनकारी/आश्रित	
अनुसूचित जाति	04	01	00	00	00	00	01	00
अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	00	00	00	
अन्य पिछड़ा वर्ग	05	02	00	00	00	00	00	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01	00	00	00	00	00	
अनारक्षित	15	05	00	00	01	01	01	
योग	29	09	00	00	01	01	02	

नोट- शहरी विकास विभाग में कर एवं राजस्व निरीक्षक पद उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-48, दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, OL, LV/PB, HH/PD, Deaf, Lc, Dw एवं AAV/AV हेतु चिह्नांकित है। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

03- पद का स्वरूप :- समूह 'ग' अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशन योजना।

04- वेतनमान :- रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 2800 (लेवल-5)।

05- शैक्षिक अर्हता :-

(i) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-

“भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।”

“ Bachelor Degree from a University established by law in India.”

(ii) अधिमानी अर्हता - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) नेशनल कैडेट कोर का “बी” अथवा “सी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

06— अनिवार्य/वांछित अर्हता:—

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली, 2019 के नियम-4 के उपनियम (2) के अनुसार 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके

द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक-809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

नोट- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर-i, ii, iii में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

(iv) पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0-38(1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित "ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हो तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह-ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो, के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।

07- आयु :- न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई 2026 है। अभ्यर्थी 01 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात का तथा 02 जुलाई, 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

08- आयु सीमा में छूट :-

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी।

- (i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (ii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iii) उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iv) अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

- 9- आरक्षण :-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों एवं उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रित हेतु आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0), उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी एवं उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-4" में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित

प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-4” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित करा लें तथा आयोग द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (i) शासनादेश संख्या— 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।
- (ii) अधिसूचना संख्या—64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 (यथासंशोधित अधिनियम-2021) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। उक्त प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या— 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019, दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

- (iii) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष की अवधि में हुई हो) तथा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या— 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उपजिलाधिकारी से अनूयन अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

- (iv) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

- (v) उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत अनुमन्य होगा :-

क्र० सं०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप / एशियन खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल / एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल / मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप / अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल / खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
6	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसियेशन द्वारा आयोजित राज्य खेल / राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप / युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ / विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल / उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

नोट- राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- (vi) उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

शासनादेश संख्या-139/xx(8)/24-27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य आंदोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र जारी

नहीं किया जायेगा। जो राज्य आंदोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10— राष्ट्रीयता :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्व अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :— ऐसे अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही अस्वीकार किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

11— चरित्र :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह पालिका केन्द्रीयित सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार अथवा राज्य के स्वामित्व/नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या स्थानीय निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12— वैवाहिक प्रास्थिति :- ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु, यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त किया जा सकेगा।

13— शारीरिक स्वस्थता :- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को पालिका केन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

14— ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **pscuk.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **pscuk.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वॉछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फॉर्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर

अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature** Checkbox पर क्लिक कर पुनः **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।

6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् **“I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself” declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन(**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpine@gmail.com** पर ई-मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी **Edit** नहीं किया जा सकता है।

15— ऑनलाइन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया :-

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (**Edit/Correction**) का लिंक खोला जायेगा।
- (ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।

- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा।
- (ix) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

16- शुल्क :- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0 सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित	कुल शुल्क
1	अनारक्षित	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
3	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
4	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रु0 60.00	रु0 16.36	रु0 76.36
5	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु0 16.36	रु0 16.36
6	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :-1. उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी/उनके आश्रित, उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाड़ी, एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. परीक्षा शुल्क जमा किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा आवेदन को निरस्त माना जायेगा।

3. किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

17- अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

- आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/विनियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

2. अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है, जिसमें वर्णित प्राविधानों के क्रम में चयन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
5. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल **ukpschelpine@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।
6. प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनाई जायेगी।
7. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन)
 - (क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
 - (ख) किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह से दण्ड दिया जायेगा।
 - (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
 - (घ) यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा।
8. **उत्तर कुँजी आपत्ति**— आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर कुँजी के प्रकाशन एवं आपत्ति निस्तारण हेतु Online Question Paper Objection Module के अन्तर्गत दो चरणों में आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी।

प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के A सीरीज के प्रश्न पत्र को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा, और अभ्यर्थी उक्त प्रश्नपत्र के प्रकाशन के

07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र से सम्बन्धित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना (Structure of Questions and Options) के संबंध में अपनी आपत्ति निःशुल्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करवाते हुये आयोग द्वारा औपबन्धिक उत्तर कुंजी तैयार की जायेगी।

तदुपरांत, द्वितीय चरण में औपबन्धिक उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नों के उत्तर (सही/गलत विकल्प) के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रु 50/- का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों का विषय-विशेषज्ञों से निस्तारण करवाने के उपरान्त विषय-विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम निर्मित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट में प्रसारित किया जायेगा।

दोनों चरणों में आपत्तियाँ केवल Online माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। Online माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं होगी। अन्तिम उत्तर कुंजी के सापेक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि नियत समय के अंतर्गत निर्धारित माध्यम के सापेक्ष सप्रमाण अपने दावे प्रस्तुत करें।

9. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
10. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन के दौरान

यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसको अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

11. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो तथा उसकी पावती की प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में औपबन्धिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का औपबन्धिक चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।
12. न्यूनतम अर्हक अंक:- अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
13. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रश्नगत पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु विचारित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
14. आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा।
15. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

16. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।
17. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
18. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
19. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण—पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
20. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, आयोग के साथ समस्त पत्राचार एवं परीक्षा से संबंधित सभी चरणों में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
21. हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
22. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**
23. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

24. **परीक्षा भवन में आचरण :-** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
25. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित—** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर पत्रकों से न तो नकल करेगा, न ही अपने उत्तर पत्रकों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
26. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
27. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :- अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
28. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :-
1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा
 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा
 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा
 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या
8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा
9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या
11. परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा
13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, (यदि कोई हो) आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो।
29. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
30. आयोग से किये जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थी अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि जारी किया गया हो) का उल्लेख अवश्य करें।
31. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

32. प्रश्नगत पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम, संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान करने के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
33. अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आईडी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उन्हें उक्त आईडी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
34. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाये, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
35. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** का समय-समय पर अनुश्रवण (Monitoring) करना सुनिश्चित करें।

Sd/
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।

परिशिष्ट-1

कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा –2026

परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र० सं०	प्रश्न पत्र	विषय	परीक्षा का प्रकार	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	समयावधि
1.	प्रश्न पत्र-I	सामान्य हिन्दी	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	100	100	02 घण्टे
2.	प्रश्न पत्र-II	सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	200	200	03 घण्टे
कुल अंक				300		

नोट :- वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक की प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंको का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंको के योग को कुल प्राप्ताकों में से घटाया जायेगा।

Exam Scheme

Written Exam (Objective Type)

S. No.	Question Paper	Subject	Exam Type	Total	No. Of Questions	Time
1.	Paper-I	General Hindi	Objective Type	100	100	02 Hours
2.	Paper-II	General Studies	Objective Type	200	200	03 Hours
Total Marks				300		

Note:-1. In objective type question paper, there will be negative marking. For each wrong answer given or more than one answer to the same question (even if one of the answers given is correct) by candidate, one-fourth (1/4) mark of the marks prescribed for that question will be deducted as penalty. The Total of penalty will be reduced from the Total marks obtained.

परिशिष्ट-2

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-I

सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समयावधि : 2 घण्टे

प्रश्नों की संख्या: 100

अधिकतम अंक: 100

1.	वर्ण-विचार: स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण-स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि।	15
2.	हिन्दी शब्द-समूह : तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द।	10
3.	हिन्दी शब्द रचना: 1-उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि समास।	10
4.	हिन्दी शब्द रचना: 2-पर्यायवाची, विलोम शब्द।	10
5.	हिन्दी शब्द रचना: 3-अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुतिसम।	10
6.	वाक्यांश के लिए एक शब्द	05
7.	अशुद्धिशोधन : शब्दगत वर्तनी अशुद्धिशोधन, वाक्यगत अशुद्धिशोधन।	10
8.	लोकोक्ति एवं मुहावरे।	10
9.	विरामचिह्न।	05
10.	व्याकरण-विचार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक।	15

प्रश्नपत्र-II

सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

अधिकतम अंक - 200

प्रश्नों की संख्या- 200

समय- 03 घण्टे

1.	अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं :- इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे-गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथक्तावादी आन्दोलन-नक्सलवाद, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द्र और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति-मुद्दे एवं विवाद, भूमण्डलीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव एवं वैश्विक खाद्य संकट सम्मिलित होंगे।	20 अंक
2.	खेलकूद :- विश्व, भारत एवं उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं सम्बन्धित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न होंगे।	10 अंक
3.	भारत का इतिहास :- भारत के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अन्तर्गत भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति।	15 अंक
4.	भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान :- इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिये बनाये गये विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से सम्बन्धित प्रश्न भी	15 अंक

	होंगे।	
5.	भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था : इसके अन्तर्गत भारतीय राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र।	10 अंक
6.	भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :- इसके अन्तर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित प्रश्न होंगे।	15 अंक
7.	सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण :- सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अन्तर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की सामान्य समझ एवं अनुप्रयोग जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे, जिसकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं किया हो जैसे कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएँ एवं समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएँ, अनुवांशिक अभियंत्रण के मानवहित में अनुप्रयोग, पशु, पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोकथाम। नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।	20 अंक
8.	भारतीय कृषि :- इसके अन्तर्गत फसलों, श्वेत, पीत एवं हरित क्रांति, कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्याएँ एवं भूमि सुधार, कीटनाशकों का वर्गीकरण और सही प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य एवं सुधार, जैविक खेती एवं इसके लाभ पर आधारित प्रश्न होंगे।	10 अंक
9.	शहरीकरण के विविध आयाम :- शहरीकरण के सिद्धान्त, शहरीकरण की चुनौतियाँ, 74 वे संविधान संशोधन के उद्देश्य, शहरी नियोजन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, नगर निकायों में वित्तीय प्रबन्धन, शहरों में आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जाने वाली योजनाएँ, शहरी निकायों में नागरिक केन्द्रित सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेशन, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के सिद्धान्त, शहरी क्षेत्रों में जीवन शैली को आसान बनाने के सिद्धान्त।	20 अंक
10.	उत्तराखण्ड का इतिहास :- उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक) : मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक) : प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ विशेषकर कत्यूरी, परमार तथा चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।	10 अंक
11.	उत्तराखण्ड की संस्कृति :- जातियाँ एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, जागर, परम्पराएँ एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला एवं शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।	10 अंक
12.	उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी :- भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएँ। उत्तराखण्ड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र। सिंचाई के साधन तथा जलविद्युत, कृषि जोतें। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएँ एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।	10 अंक

13	उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश : राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश : उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएँ, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन, केशर हिन्द (बेनाप भूमि), नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल— उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि-सुधार, लैंड टैन्डोर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस व्यवस्था। आर्थिक परिवेश :- सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबन्दी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।	15 अंक
14	उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन— मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल-विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग, तथा इनके उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी0डी0पी0 में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएँ तथा कृषि मन्डियाँ, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।	10 अंक
15	सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखाचित्र : इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी, आरेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा।	10 अंक

Question Paper-II
General Studies (objective type)

Maximum marks 200

No. of Questions: 200

Time: 3 Hours

1 Current events of International , National and State Importance : It will cover events of national importance like coalition government system, economic liberalization, economic recession, regional extremism and separatist movements- Naxalism and Maoism; national security, internal security, communal harmony and international perspectives like nuclear policy issues and conflicts; impact of globalization on the socio-economic conditions of developing countries and global food crisis.	20 Marks
2 Sports and games: Questions based on important sports, games and tournaments, awards and personalities of the world, india and uttarakhand will be asked.	10 Marks
3 History of India: History of India will cover a broad understanding of ancient, medieval and modern India's political socio-economic and cultural aspects, Indian freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.	15 Marks
4 General knowledge of Indian Constitution: Questions will be set on Indian Constitution as may be expected from an educated person who has not made a special study of the Constitution. Right to information, Right to Service, Right to education, Intellectual property rights and Consumer protection rights. Questions will also be asked on different Acts and Welfare programmes passed for the weaker and minority sections of society and different National and State Commissions for their upliftment.	15 Marks
5 Indian polity and Economy: The question will cover Indian polity, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning. Agriculture, Industry, trade and Service sector in Indian economy.	10 Marks
6 Geography of India and Demography: It will include questions on broad understanding of geographical, ecological, socio- economic and demographic aspects of India.	15 Marks
7 General Science, Technology and Environment: Questions on General science and environment will cover general understanding and application of science and environment including matters of day to day observation and experience, as may be expected from an educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline such as global environmental problems and solutions, nutritional requirements for human growth, application of genetic engineering in human welfare; diseases of cattle, birds, plants and their prevention, Renewable and non-Renewable sources of energy.	20 Marks
8 Indian agriculture: Questions will cover the general awareness of candidates in respect of crops, white, yellow, and green revolutions, agricultural production and its contribution to rural economy, use of Nano and Bio-technologies in the field of agriculture, problems of Indian farmers and land reforms Classification of pesticides and their judicious uses. , Soil health and its improvement, Organic farming and its benefits.	10 Marks
9 Different Aspects of Urbanization: Concepts of urbanization, Challenges of urbanization, Aim of 74 th constitutional amendment, Urban planning, Solid waste management, Plastic waste management, financial management in Urban local bodies, Schemes for livelihood and poverty alleviation in urban areas, Inclusion of Information technology in providing citizen centric services in urban Areas, Concepts of environment protection in urban areas, Concepts of ease of living in Urban areas.	20 Marks

10 History of uttarakhand: Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD); Mediaeval period (From 1200 to 1815 AD) Important dyansties and their achievements specially Katyuri, Parmar and Chand dynasties; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and Its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India and related eminent personalities, major historical sites and monuments, movement for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in national and international fields, especially in Armed forces; different social reform movements and different welfare programmes of uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.	10 Marks
11 Culture of Uttarakhand: Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature, folk literature, Jagar, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, Food habits, Art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi Literature and folk literature, steps taken by Uttarakhand Government for the development of culture.	10 Marks
12 Geogrphy and Demography of Uttarakhand: Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya, Rivers, mountains, climate, forest resources and horticulture of Uttarakhand. Major crops and crop rotation, Means of irrigation & Hydropower. Agricultural holdings. Natural and manmade calamities and disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out migration.	10 Marks
13 Economic, political and Administrative Background of Uttarakhand: Political and Administrative Background in Uttarakhand- Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayti raj, Community development and Co-operatives. The historical background of the administrative system in Uttarakhand- Land management system under Gorkha and British rules district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, kesar-i-hind (Benap land), Nazul, Nayabad settlements). Modern period-Uttar Pradesh and Uttarakhand land reforms, change in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamindari Abolition Act, Revenue police system. Economic background in Uttarakhand - Indo Tibetan trade from border districts in ancient times, the present position, local agriculture, animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consolidation of holding. Begar and Dadwar systems.	15 Marks
14 Economic and natural resources: of Uttarakhand - Human resources, Education system of the State and important educational Institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydroelectricity, minerals, tourism, industries the present position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the state GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand state.	10 Marks
15 Statistical analysis graphs and diagrams: Questions will be based on candidate's ability to draw conclusions from information presented in statistical, graphical and diagrammatical form and to interpret them.	10 Marks

परिशिष्ट-3
कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा –2026
लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु नगरों की सूची

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

S.No.	District Name	City	City Code
1	Almora	Almora	01
2	Bageshwar	Bageshwar	02
3	Champawat	Champawat	03
4	Chamoli	Gopeshwar	04
5	Dehradun	Dehradun	05
6	Haridwar	Haridwar	06
7	Nainital	Haldwani	07
8	Pauri Garhwal	Srinagar	08
9	Pithoragarh	Pithoragarh	09
10	Rudraprayag	Rudraprayag	10
11	Tehri Garhwal	New Tehri	11
12	Udham Singh Nagar	Rudrapur	12
13	Uttarkashi	Uttarkashi	13

नोट- अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटायी-बढ़ायी जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम रहेगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध / प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-4

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट-4(1)

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा
उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्रामतहसीलनगर
जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-4(2)

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के
राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में
प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम
मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-4(3)

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिलाउत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री
(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित)/पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार
उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

परिशिष्ट-4(4)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दि: 07 मार्च, 2019 के अधीन)

अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-4(5)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या — तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्रीआयु लिंगपहचान चिन्ह
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) — दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) — दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)—दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) — एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) — एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) — पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) — मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि —

(i) बी — अंधता

(ii) पी बी — ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी—बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

शासनादेश संख्या-139/XX(8)24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप-2 :-

प्रारूप-1

“उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री..... निवासी.....तहसील.....जिला.....

शासनादेश संख्या-177/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या-178-2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या-1401/बीस-4/2015-3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521/बीस-4/2017-9 (उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192/बीस-4/2017-3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत “उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....

**शासनादेश संख्या-139/XX(8)24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न
प्रारूप-2 :-**

प्रारूप-2

“उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....
शासनादेश संख्या-177/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या-
178-2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या- 1401/बीस-4
/2015-3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521/बीस-4/2017-9
(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192/बीस-4/2017-3(13)
/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य
आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/
पत्नी/पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....

परिशिष्ट-5

कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks) :-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित	45
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	40
3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी	40
4	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी	35

नोट:- उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड अनाथ/प्रभावित बच्चे, कुशल खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/आश्रित, उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड के दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को उनके मूल श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में कैलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
10. उत्तराखण्ड के बाहर के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी, मांगे जाने पर नियमानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जायेगा।

-Sd-
सचिव

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of
disability), S/o/D/o, a resident of
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which
hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor
disability Orthopedic specialist/PMR)**

परिशिष्ट-06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है—

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।
7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

-Sd-
सचिव

परिशिष्ट-07 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing _____ Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-08

कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा-2026

Check List

अनुक्रमांक –
आवेदित पद–

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
06	स्नातक उपाधि*	
07	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
08	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण –पत्र। (यदि लागू हो)। (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। (ख) एन0सी0सी0 “बी” अथवा “सी” प्रमाण पत्र	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
10	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रित/उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
11	यदि अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अन्तर्गत आता है तो इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।	
12	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	
13	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
14	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
15	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई0डी0।	
16	विज्ञापन के बिन्दु सं०-06 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट <u>प्रमाण-पत्र/अभिलेख-</u>	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	

3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

*** ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए। नोट-अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगे एवं अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....